66

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2004 निगरानी

COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

मृत 1. शिवदत्त तनय श्यामले कुर्मी
2. प्रेमबाई बेवा रामबकश कुर्मी
मृत 3. रामनाथ तनय श्यामले कुर्मी
4. रामरूप तनय श्यामले कुर्मी
5. रामगोपाल तनय स्व0 श्री टन्टा कुर्मी
6. गौरी बाई पत्नि स्व0 श्री टन्टा कुर्मी
7. भूरा तनय स्व0 श्री टन्टा कुर्मी
समस्त निवासीगण ग्राम-बडागांव
तहसील व जिला-पन्ना म0 प्र0

.......आवेदकगण

वि0

मृत 1. बलवीर सिंह तनय रनवीर सिंह
2. उत्तम सिंह तनय स्व0 श्री फेरन सिंह
3. छुट्टे राजा तनय स्व0 श्री फेरनसिंह
जरिये वली इमलिया वाली
पत्नि स्व0 श्री फेरन सिंह
4. इमलिया वाली पत्नि स्व0 श्री फेरनसिंह
5. हीरा सिंह तनय लल्लूराजा
6. पप्पू तनय स्व0 श्री फकीर काछी
7. हरदुआ वाली पत्नि स्व0 श्री दुलारे
समस्त निवासीगण ग्राम-बडागांव
तहसील व जिला-पन्ना म0 प्र0

....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी एडवोकेट द्वारा आज दि0 26/10/04 को प्रस्तुत।
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
26 OCT 2004

K. K. DWIVEDI Advocate 26/10/04

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 5-7-2013 के अनुसार संशोधन किया।

माननीय श्री एम. के. सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 936-दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 26-7-2004 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगणों का निम्नांकित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यह कि, आवेदकगणों ने अपर तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया कि आराजी क्रमांक 939, 940 और 1058 रकवा क्रमशः 0.75, 0.32, और 0.55 हे0 स्थित ग्राम बडागांव में आवेदकगणों के नाम है। उक्त आराजी पर अनावेदकगणों ने

क्रमशः.......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

———

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1401–एक/04 जिला –पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.03.2016	आवेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्धारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 936–दो/2002 आदेश दिनांक 26.7.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1401–दो/2004 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 936–दो/2002 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 26.07.2004 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 1401–दो/2004 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन	

रिव्यू. 1401-II/04 पन्ना

स्वीकार किया जा सकता है :—

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2—अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य